मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 17 फरवरी, 2005 (माघ 28, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) डॉ. विद्यानिवास मिश्र, वरिष्ठ साहित्यकार एवं राज्य सभा सदस्य ; तथा

(2) श्री विजय सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण -

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001; *तथा*

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 2002-2003 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सुनीलम्, सर्वश्री मारोतराव खवसे, नानालाल पाटीदार, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में ओलावृष्टि से फसलें नष्ट होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री आरिफ अकील, राजेश पटेल, सदस्य, जिला भोपाल स्थित बाग दिलकुशा क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही से हत्या की घटना होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

5. याचिकाओं का प्रस्तुति

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम जैरोंन खालसा से पृथ्वीपुर तक पक्की सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम ओरछा तिगेला से ओरछा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम निवाड़ी, पृथ्वीपुर एवं ओरछा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की पदस्थापना कराये जाने,

(घ) ग्राम खिस्टौन से झिंगोरा व्हाया कुलुआ तक पक्की सड़क बनाये जाने,

(ङ.) ग्राम प्रतापपुरा से बसोबा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(च) ग्राम पठाराम से धमना तक पुलियों सहित पक्की सड़क बनाये जाने,

(छ) ग्राम टेहरका से घुघसी तक पक्की सड़क बनाये जाने,

(ज) ग्राम घूंघटा घाट के पुल की मरम्मत कराये जाने,

(झ) ग्राम भोपालपुरा से ममौरा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ञ) ग्राम पाराखेरा से काकावनी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने; तथा

(ट) पर्यटन स्थल ओरछा में कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे 30 मि. (1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संबंधी दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003 पर चर्चा.

2 घन्टे 30 मि. (2) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2003-2004) पर चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 16 फरवरी, 2005